कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा–माध्य/मा–द/गुण.प्र./SKBK/61186/2021–22/7-14 दिनांक– 24.6.2022

समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा।
समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)–माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा।
समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक सन्दर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा।
समस्त पीईईओ/यूसीईईओ।
समस्त संस्था प्रधान सरकारी/गैर सरकारी विद्यालय।

विषय– शैक्षिक सत्र 2022–23 में विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास, अध्ययन निरन्तरता एवं शैक्षणिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विस्तृत कार्ययोजना।

प्रसंग– अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय के पत्रांक प.17(1) शिक्षा–1/लर्निंग लॉस/विविध/2022 दिनांक 20.06.2022 आदेश के क्रम में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बजट घोषणा 2022 के बिन्दु संख्या 6 (III) में कोविड़ काल के दौरान अध्ययन में हुई क्षति की भरपाई के लिए आगामी वर्ष के स्कूली विद्यार्थियों के लिए 3 माह की अवधि के ब्रिज कार्यक्रम की घोषणा की है। इस क्रम में विभाग द्वारा लर्निंग लॉस पूर्ति एवं लर्निंग की पुनः प्राप्ति, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास, अध्ययन निरन्तरता, एवं शैक्षणिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, सतत् आकलन तथा तद्–अनुरूप रेमेडिएशन कार्यक्रम हेतु राजस्थान में **"शिक्षा के बढते कदम"** कार्यक्रम का आरम्भ किया जा रहा हैं। यह कार्यक्रम राज्य के समस्त विद्यालयों हेतु कक्षा 1 से 8 में सत्र 2022–23 से आरम्भ किया जाएगा।

"शिक्षा के बढ़ते कदम" कार्यक्रम के उद्देश्य :

- इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य– विद्यार्थियों के लर्निंग में आए गैप को, दक्षता आधारित शिक्षण से ब्रिज करके उनको उनके एट ग्रेड लेवल तक लाना है।
- यह कार्यक्रम रेमेडिएशन पर केंद्रित है।
- कार्यक्रम में आसान व आनंदपूर्ण शिक्षण विधि से अध्ययन को बेहतर बनाना है।
- कार्यक्रम के द्वारा शिक्षकों का कार्यभार कम करना है, जिससे कि वे अधिकतम समय अध्ययन–अध्यापन में लगा सके।

"शिक्षा के बढ़ते कदम" कार्यक्रम के विस्तृत दिशानिर्देश :

इस कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन हेतु, विद्यार्थियों में गत कक्षा की छूट गई एवं विस्मृत हुई दक्षताओं की सहज प्राप्ति के लिए कक्षा 3 से 8 के लिए एट ग्रेड के साथ–साथ बिहाइन्ड ग्रेड की तथा कक्षा 1–2 की एट ग्रेड स्तर दक्षताओं को सम्मिलित कर दक्षता आधारित वर्कबुक्स तैयार की गई हैं। नियमित अध्ययन के साथ–साथ उक्त वर्कबुक्स के प्रयोग से विद्यार्थी द्वारा सीखी गई दक्षताओं की ट्रेकिंग की जानी है, जिसके आधार पर विद्यार्थियों को रेमिडिएशन देकर एट ग्रेड स्तर पर लाना है। "शिक्षा के बढ़ते कदम" कार्यक्रम के चरण निम्नानुसार रहेंगेः–

1. **लर्निंग गैप्स को दूर करने के लिए ब्रिज–रेमेडिएशन कार्यक्रम :–** विद्यार्थियों को उनके लर्निंग स्तर के आधार पर पृथक पृथक समूह का निर्माण कर रेमिडिएल शिक्षण करवाया जाएगा। इसके तहत निम्नलिखित कार्यवाही की जाएगीः–

(i) वर्कबुक्स का वितरण: विभाग द्वारा लर्निंग लॉस को समाप्त करने हेतु आरएससीईआरटी द्वारा कक्षा 1 से 8 के लिए लर्निंग लेवल आधारित 18 कलस्टर वर्कबुक्स विकसित की गई हैं। ब्रिज– रेमेडिएशन कार्यक्रम के दौरान कक्षा 1 से 8 तक के समस्त विद्यार्थियों द्वारा निम्न वर्कबुक्स का उपयोग किया जाएगाः–:

क्र.स.	वर्कबुक का नाम	कक्षा	सीखने का स्तर	विषय
1.	प्रथम	कक्षा 1	एट–ग्रेड – लेवल 1	हिंदी, गणित, अंग्रेजी
2.	पल्लव	कक्षा 2	एट–ग्रेड – लेवल 2	हिंदी, गणित, अंग्रेजी
3.	पहल	कक्षा 3	बिहांइड ग्रेड –लेवल 1,2	हिंदी, गणित, अंग्रेजी
4.	प्रयास	कक्षा 4–5	बिहांइड ग्रेड – लेवल 2, 3, 4	हिंदी, गणित, अंग्रेजी
5.	प्रवाह	कक्षा 6–7	बिहांइड ग्रेड – लेवल 3,4,5	हिंदी, गणित, अंग्रेजी
6.	प्रखर	कक्षा 8	बिहांइड ग्रेड – लेवल 5,6,7	हिंदी, गणित, अंग्रेजी

ये वर्कबुक्स जुलाई माह तक सीबीइओ कार्यालयों तक समसा द्वारा ब्लॉक स्तर तदुपरांत विद्यालय में पहुंचाई जायेगी। ब्लॉक स्तर तक वर्कबुक्स प्राप्त करने व भेजने हेतु सीबीईओ नोडल अधिकारी होगें। समसा द्वारा जारी पत्रांक रा.स्कूल. शि.प./जय/गुणवत्ता/कार्यपुस्तिका/2022–23/एफ33/2253 दिनांक 17.06. 2022 गाइडलाइन्स के अनुरूप सीबीईओ द्वारा अपने अधीन पीईईओ/यूसीसीईओ को तथा पीईईओ/यूसीसीईओ अपने परिक्षेत्र के समस्त विद्यालयों तक 1 सप्ताह के भीतर कार्यपुस्तिकाएं वितरित की जानी है तथा कार्यपुस्तिकाएं वितरण डेटा शाला दर्पण मॉड्यूल पर अपलोड किया जाना है।

(ii) ब्रिज–रेमेडिएशन कार्यक्रम के चरण–

समस्त विद्यालयों में जुलाई 2022 से अप्रैल 2023 तक रेमेडिएशन कार्यक्रम चरणबद्ध रूप से संचालित होगा। ब्रिज–रेमेडिएशन कार्यक्रम के दो चरण होगें–

- **प्रथम चरण** में कक्षा के सभी विद्यार्थियों को बिहाइन्ड ग्रेड दक्षता आधारित।
- जुलाई 2022 से सितंबर 2022 तक प्रत्येक सप्ताह सोमवार से शुक्रवार प्रति दिवस कुल 8 कालांश में से प्रथम 4 कालांश में वर्कबुक आधारित शिक्षण कार्य अर्थात् रेमेडियल शिक्षण के लिए निर्धारित रहेंगे तथा शेष 4 कालांश में एटग्रेड़ की विषयवस्तु का अध्यापन कराया जाएगा।
- रेमेडिएल शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों को लर्निंग लेवल के आधार पर दो समूहों में बांट कर पृथक–पृथक बिठाया जायेगा।
- **द्वितीय चरण** में, विद्यार्थियों को रेमेडिएशन प्रोग्राम की अवधि के दौरान अलग–अलग निर्देश प्राप्त होंगे ।
- अक्टूबर 2022 से अप्रैल 2023 तक प्रत्येक सप्ताह सोमवार से शुक्रवार प्रति दिवस प्रथम 2 कालांश रेमेडियल शिक्षण के लिए निर्धारित रहेंगे। इसके लिये विस्तृत निर्देश पृथक् से प्रदान किये जाएंगे।

(iii) कक्षा–कक्ष प्रक्रिया :–

- कार्यपुस्तिका के उपलब्ध होने तक विद्यार्थियों का अभ्यास कार्य जारी रह सके इस हेतु कार्यपुस्तिका के उपलब्ध होने तक कक्षा 1 से 8 तक की हिंदी, गणित एवं अंग्रेजी विषय की कार्य पुस्तिकाओं को समसा पोर्टल rajsmsa.nic.in पर संदर्भ सामग्री टैब से संस्था प्रधान आवश्यकतानुसार वर्कशीट्स शिक्षक द्वारा डाउनलोड करवाएगे। इन वर्कशीट्स को शिक्षकों द्वारा बोर्ड पर लिखकर विद्यार्थियों को अभ्यास कार्य कराया जाना है। (प्रति सप्ताह 5 वर्कशीट्स)
- ब्रिज रेमेडिएशन प्रोग्राम के दौरान 4 महत्वपूर्ण कक्षा प्रक्रियाओं, शिक्षण–अभ्यास–आकलन–समर्थन का पालन किया जाना है।

क्र. स.	कक्षा—कक्ष प्रक्रिया	विवरण	स्रोत
1.	दक्षता आधारित और गतिविधि आधारित शिक्षण	ब्रिज रेमेडिएशन अवधि के दौरान अवधारणाओं को पढ़ाने के लिए शिक्षक दक्षता आधारित शिक्षण का संचालन करें। शिक्षको द्वारा विद्यार्थियों को कोई भी नई दक्षता सिखाने से पूर्व कक्षाओं में गतिविधि आधारित शिक्षण के संचालन हेतु एबीएल किट का उपयोग किया जाएगा। (सप्ताह में 1 दिवस)	एबीएल किट (1–2), एबीएल किट (3–5)
2.	दक्षता आधारित अभ्यास के लिए कार्यपुस्तिका	दक्षताओं को प्राप्त करने हेतु अभ्यास के लिए रेमेडिएशन अवधि के दौरान उपयोग की जाने वाली ब्रिज रेमेडिएशन वर्कबुक्स की दक्षता आधारित वर्कशीट्स का उपयोग किया जाना है।	कार्यपुस्तिकाएँ
3.	नियमित साप्ताहिक आकलन	शिक्षक विद्यार्थी की प्रगति जाँच के लिए कार्यपुस्तिका में दिए गए साप्ताहिक मूल्यांकन से विद्यार्थी का मूल्यांकन करें और उसमे विद्यार्थी के प्रदर्शन के अनुसार अगले सप्ताह की शिक्षण की योजना बनाएं।	कार्यपुस्तिकाएँ
4.	नियमित कार्यपुस्तिका जाँच और विद्यार्थी फीडबैक	शिक्षक नियमित रूप से वर्कबुक्स की जाँच करें और विद्यार्थियों को उनके द्वारा की गई गलतियों को तथा सुधार कैसे करें आदि पर फीडबैक दें।	

(iv) विद्यार्थी समूहन :

1. ब्रिज–रेमेडिएशन कार्यक्रम के चरण 1 हेतु, सत्रारम्भ से ही लर्निंग लेवल का आकलन तथा विद्यार्थियों को समूहीकृत करने के लिए, वर्कबुक्स में दिया गया, बेसलाइन आकलन 15 जुलाई तक किया जाएगा।
2. जिन विद्यालयों में वर्कबुक्स उपलब्ध नही हो पाई है उनके संस्थाप्रधान, शिक्षकों को पूर्व उल्लिखित समसा पोर्टल से बेसलाइन आकलन शीट डाउनलोड करवाकर उपलब्ध करवाएंगे। शिक्षकों द्वारा 10 जुलाई तक कक्षा 1 से 8 तक सभी विद्यार्थियों का बेसलाइन आकलन किया जाए।
3. विद्यार्थियों को बेसलाइन आकलन में प्रदर्शन के आधार पर, लर्निंग लेवल के अनुसार दो समूहों में समूहीकृत करना है।
4. शिक्षकों द्वारा वर्कबुक्स में ग्रुपिंग टूल का उपयोग करके 60% से अधिक स्कोर करने वाले विद्यार्थियों को समूह 1 में और 60% से कम स्कोर करने वाले विद्यार्थियों को समूह 2 में समूहीकृत किया जाना है।
5. दोनों विद्यार्थी समूहों का बिहाइंडग्रेड दक्षता आधारित सामान्य शिक्षण करवाया जाना है परन्तु शिक्षकों का ध्यान विद्यार्थी समूह 2 पर अधिक होना चाहिए क्योकि इस समूह को बिहाइंड ग्रेड दक्षता अभिवृद्धन की अधिक आवश्यकता है।
6. शिक्षक उन विद्यार्थियों को रेमेडियल शिक्षण में स्वयं की सहायता हेतु स्वयं की मौजूदगी में साथ ले सकते हैं, जो वर्कबुक्स में वर्कशीट्स के स्वतंत्र अभ्यास में बैक ग्रेड दक्षताओं में कुशल हो अर्थात् जिनका बेसलाइन स्कोर 60% से अधिक हो।
7. नीचे दी गई सारणी में विद्यालय के प्रकार के अनुसार विद्यार्थी समूहन के कुछ उदाहरण दिए गए है, इसके अतिरिक्त अन्य स्थितियों में विद्यार्थी समूहन का निर्धारण संस्था प्रधान स्वयं के स्तर पर करेंगे। संस्था प्रधान द्वारा समूह 1 तथा समूह 2 के लिये निर्धारित शिक्षकों के नामों की प्रविष्टि शाला दर्पण मॉड्यूल पर 25 जुलाई तक की जानी है।

विद्यालय का प्रकार	विद्यार्थी समूहन
एकल शिक्षक प्राथमिक विद्यालय	**शिक्षक-1** **समूह**-1: कक्षा 1-2 **समूह**-2: कक्षा 3-5 कम दक्ष विद्यार्थी **समूह**-3: कक्षा 3-5 अधिक दक्ष विद्यार्थी
दो शिक्षक प्राथमिक विद्यालय	शिक्षक -**1** - कक्षा **1-3:**

	समूह -1: कक्षा 1-2, Grade 3 कम दक्ष विद्यार्थी **समूह** 2: कक्षा 3 अधिक दक्ष विद्यार्थी शिक्षक **-2** - कक्षा **4-5:** **समूह** -1: कक्षा 4-5, कम दक्ष विद्यार्थी **समूह** -2: कक्षा 4-5 अधिक दक्ष विद्यार्थी
तीन शिक्षक प्राथमिक विद्यालय	शिक्षक **-1** - कक्षा **1-2:** **समूह** -1: कक्षा 1 **समूह** -2: कक्षा 2 शिक्षक **-2** - कक्षा **3:** **समूह** -1: कक्षा 3, कम दक्ष विद्यार्थी **समूह** -2: कक्षा 3 अधिक दक्ष विद्यार्थी शिक्षक **-3** - कक्षा **4-5:** **समूह** -1: कक्षा 4-5, कम दक्ष विद्यार्थी **समूह** -2: कक्षा 4-5, अधिक दक्ष विद्यार्थी
दो शिक्षक उच्च प्राथमिक विद्यालय	शिक्षक **1** (कक्षा 1–3 और कक्षा 4–5 विद्यार्थियों के लिए शिक्षण और अभ्यास कालांशो की वैकल्पिक अवधियों का पालन किया जाएगा) **कक्षा 1-3:** कालांश 1 **समूह** -1: कक्षा 1,2, कक्षा 3 कम दक्ष विद्यार्थी **समूह** -2: कक्षा 3 अधिक दक्ष विद्यार्थी **कक्षा 4-5:** कालांश 2 **समूह** -1: कक्षा 4-5, कम दक्ष विद्यार्थी **समूह** -2: कक्षा 4-5, अधिक दक्ष विद्यार्थी शिक्षक **-2** - (कक्षा 6–7 और कक्षा 8 विद्यार्थियों के लिए शिक्षण और अभ्यास कालांशो की वैकल्पिक अवधियों का पालन किया जाएगा) **कक्षा 6-7:** कालांश 1 **समूह** -1: कक्षा 6-7, कम दक्ष विद्यार्थी **समूह** 2: कक्षा 6-7, अधिक दक्ष विद्यार्थी **कक्षा 8:** कालांश 2 **समूह** -1: कक्षा 8, कम दक्ष विद्यार्थी **समूह** -2: कक्षा 8, अधिक दक्ष विद्यार्थी
तीन शिक्षक उच्च प्राथमिक विद्यालय	शिक्षक **-1** - कक्षा **1-3:** **समूह** -1: कक्षा 1,2, कक्षा 3 कम दक्ष विद्यार्थी **समूह** -2: कक्षा 3 अधिक दक्ष विद्यार्थी शिक्षक **-2** - कक्षा **4-5:** **समूह** -1: कक्षा 4-5, कम दक्ष विद्यार्थी **समूह** -2: कक्षा -5, अधिक दक्ष विद्यार्थी शिक्षक **-3** - कक्षा **6-8:** (कक्षा 6–7 और कक्षा 8 विद्यार्थियों के लिए शिक्षण और अभ्यास कालांशो की वैकल्पिक अवधियों का पालन किया जाएगा)

	कालांश -1: **समूह** -1: कक्षा 6-7, कम दक्ष विद्यार्थी **समूह** 2: कक्षा 6-7, अधिक दक्ष विद्यार्थी कालांश -2 **समूह** -1: कक्षा 8, कम दक्ष विद्यार्थी **समूह** -2: कक्षा 8, अधिक दक्ष विद्यार्थी
चार शिक्षक उच्च प्राथमिक विद्यालय	शिक्षक **-1** - कक्षा **1-3:** **समूह** -1: कक्षा 1,2, कक्षा 3 कम दक्ष विद्यार्थी **समूह** 2: कक्षा 3 अधिक दक्ष विद्यार्थी शिक्षक **-2** - कक्षा **4-5:** **समूह** -1: कक्षा 4-5, कम दक्ष विद्यार्थी **समूह** -2: कक्षा 4-5, अधिक दक्ष विद्यार्थी शिक्षक **-3** - कक्षा **6-7:** **समूह** -1: कक्षा 6-7, कम दक्ष विद्यार्थी **समूह** -2: कक्षा 6-7, अधिक दक्ष विद्यार्थी शिक्षक **-4** - कक्षा **8:** **समूह** -1: कक्षा 8, कम दक्ष विद्यार्थी **समूह** 2: कक्षा 8, अधिक दक्ष विद्यार्थी

2.आकलन :

- रेमेडिएशन कार्यक्रम में शिक्षण उपरान्त कक्षा 3–8 के विद्यार्थियों की दक्षता प्राप्ति का आकलन व आगे के कार्यक्रम संचालन हेतु निर्धारित कार्यक्रम के तहत आकलन करवाए जाएंगे।
- शिविरा पंचांग में निर्धारित समयानुसार तीन दक्षता–आधारित आकलन किये जाने है (कक्षा 5 व 8 के अतिरिक्त) ।

  <u>नोटः</u> कक्षा 5 व 8 के विद्यार्थियों के लिए 2 दक्षता आधारित समग्र आकलन SA-1 तथा SA-2 के आयोजन के पश्चात् बोर्ड परीक्षाएं यथावत् रहेगी।

1. **बेसलाइन आकलन (Baseline Assessment)**

- रेमेडिएशन कार्यक्रम के प्रथम चरण में सत्रारम्भ के 10 दिवस के भीतर विद्यार्थियों के लर्निंग लेवल के जांच के लिए वर्कबुक्स में 10 अभ्यास वर्कशीट्स के बाद दिया गया, बेसलाइन आकलन विद्यार्थियों द्वारा करवाना हैं।
- बेसलाइन आकलन में विद्यार्थी के प्रदर्शन का वर्कबुक में रिकार्ड संधारण किया जाना हैं तथा इसकी प्रविष्टि शाला दर्पण मॉड्यूल पर 15 जुलाई तक करनी है।
- जिन विद्यालयों में वर्कबुक्स उपलब्ध नही हो पाई है, उनके संस्थाप्रधान, शिक्षकों को पूर्व उल्लिखित समसा पोर्टल से बेसलाइन आकलन शीट डाउनलोड करवाकर उपलब्ध करवाएंगे ।
- इसके आधार पर शिक्षकों द्वारा विद्यार्थी समूहीकरण कर विद्यार्थी के लर्निंग लेवल पर आधारित आवश्यक सहायता प्रदान की जानी हैं।

2. **रचनात्मक आकलन (Formative Assessment)**

- विद्यार्थियों द्वारा अध्ययन की उपलब्धि के समयबद्ध आकलन हेतु वर्कबुक में 4–5 वर्कशीट को पूरा करने पर रचनात्मक आकलन उपलब्ध है।

- इसे सप्ताह के अंत में करवाया जाना है, इससे शिक्षकों को पता चलेगा कि सप्ताह में कराया अध्ययन से विद्यार्थियों को कितना समझ आया है।
- रचनात्मक आकलन में भी विद्यार्थी के प्रदर्शन की वर्कबुक में प्रविष्टी कर रिकार्ड संधारण किया जाना है। ऑनलाइन डाटा एंट्री नहीं करनी है।

3. **योगात्मक आकलन (Summative Assessment)**

- शिक्षण प्रक्रिया कितनी सफल रही इसका ज्ञान करने के लिए अर्थात् अधिगम आकलन के लिए त्रैमासिक रूप से योगात्मक आकलन किए जाने है।

योगात्मक आकलन प्रपत्र के दो भाग होगे– भाग A तथा भाग B.

- भाग A में बिहांइड ग्रेड की दक्षताओं पर आधारित 10–15 वस्तुनिष्ठ प्रश्न विभाग द्वारा उपलब्ध करवाए जाएगे। विद्यार्थी को इस वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र का उत्तर पत्रक (ओ.सी.आर शीट) में देना है :, जिसे शिक्षक कार्यक्रम हेतु विशेषतः तैयार एप पर स्कैन करेंगे। स्कैन फोटो से ऑटोमेटिक डाटा एंट्री की जाएगी।
- भाग B में ग्रेड–स्तरीय दक्षताओं पर आधारित प्रश्न होगें जिसका निर्माण शिक्षक स्वयं के स्तर पर तथा उत्तर पुस्तिका जाँच शिक्षक नियमित प्रक्रिया द्वारा करेगे। इसकी शाला दर्पण पर डाटा एंट्री की जानी है।
- योगात्मक आकलन उत्तर पुस्तिका प्रिन्टिंग तथा वितरण के लिए समसा नोडल एजेन्सी रहेगा।

3. पेरेन्ट टीचर मीटिंग तथा होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड:

प्रत्येक विद्यार्थी के सीखने में उसके परिवार का विशेष योगदान रहता है। इसलिए यह अत्यावश्यक है कि विद्यार्थियों के लर्निंग लॉस को रिकवर करने लिए संचालित रेमेडिएशन कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन के लिए शिक्षकों के साथ–साथ विद्यार्थियों के परिवारजनों को भी साथ में जोड़ा जाए।

- विद्यार्थी के अभिभावकों को उनकी अध्ययन में प्रगति में सक्रिय भागीदार बनाने के लिए, योगात्मक आकलन के आधार पर डिजिटल रूप से समग्र रिपोर्ट कार्ड्स तैयार किए जाएंगे और पीटीएम में इन रिपोर्ट कार्ड्स पर चर्चा की जाएगी।
- डिजिटल रूप से रिपोर्ट कार्ड्स तैयार होने से शिक्षकों का कार्यभार भी कम होगा जिससे शिक्षकों को रिपोर्ट कार्ड में प्रविष्टी के बजाय अभिभावक–शिक्षक के मध्य शैक्षिक चर्चाओं के लिये समय मिल सकेगा।
- इन रिपोर्ट कार्ड्स में विद्यार्थियों के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए दक्षता–आधारित जानकारी और अभिभावक स्तर पर की जाने वाली सहायता का उल्लेख होगा।
- प्रत्येक विद्यार्थी को डिजिटल रूप से तैयार (शाला दर्पण से डाउनलोड किया गया) होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड प्रदान कर माता–पिता/अभिभावकों को उनके बालक–बालिकाओं की दक्षताओं से अवगत कराया जाएगा। उदाहरण के लिए: उन्हें अवगत कराया जाएगा कि "आपका बालक या बालिका व्याकरण की अच्छी समझ रखता है, परंतु वाक्य निर्माण में अभ्यास की आवश्यकता हैं ।" इससे अभिभावकों को भी सकारात्मक संबलन मिलेगा तथा वे अपने बालक/ बालिका की पढ़ाई के प्रति अधिक जागरूक होंगे।
- दक्षता आधारित समग्र आकलन (Summative Assessments) तथा परीक्षाओं में विद्यार्थियों की प्रगति से माता–पिता अथवा अभिभावकों को अवगत करवाने के लिए पीटीएम का आयोजन, शिविरा पंचाग के अनुसार किया जाएगा।
- रिपोर्ट कार्ड्स की प्रिन्टिंग तथा वितरण के लिए समसा नोडल एजेंसी रहेगा।

4. शिक्षक क्षमता संवर्द्धन

"शिक्षा के बढते कदम" कार्यक्रम के तहत शिक्षक क्षमता संवर्द्धन के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:–

- शिक्षकों को उनकी कक्षाओं के बारे में डेटा आधारित निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाना
- शिक्षकों को स्वयं पहल करने के लिए प्रेरित करना;

- विद्यार्थियों की दक्षता के आधार पर समूह निर्माण कर, समूह अध्ययन करवाना ।
- विद्यार्थियों को दक्षता प्राप्ति हेतु गतिविधि आधारित शिक्षण करवाना।
- विषय वस्तु में से दक्षता की पहचान करना एवं उसकी प्राप्ति हेतु विद्यार्थियों को यथा योग्य अध्ययन करवाना।

इसके 2 माध्यम रहेंगे–

1. शिक्षक ऐपः

- इस ऐप माध्यम से शिक्षक अपनी कक्षा के विद्यार्थियों का योगात्मक मूल्यांकन में प्रदर्शन की जानकारी प्राप्त करेंगे।
- विद्यार्थियों के प्रदर्शन के आधार पर, ऐप यह भी दिखाएगा कि उन्हें किस लर्निंग लेवल के समूह में विभाजित किया जाना चाहिए।
- सुधार योग्य दक्षता को फिर से पढ़ाने के लिए, ऐप के माध्यम से शिक्षकों को एक ''सीखने की यात्रा'' दिखाई जाएगी, जिसमें उन्हें बताया जाएगा कि उन्हें कौन सी वर्कशीट करनी है? कौन सी गतिविधियाँ, गतिविधि करने के लिए कौन से वीडियो आदि उपयोग में लेने हैं? ऐप सैम्पल पाठ योजनाओं का भी सुझाव देगा।
- इस एप को जानने व उपयोग करने के संबंध में शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम अलग से आयोजित किया जायेगा।

2. शिक्षक प्रशिक्षणः

- शैक्षिक सत्र 2022–2023 के लिए, शिक्षकों को पंचायत स्तर पर, व्यक्तिगत प्रशिक्षण और डिजिटल प्रशिक्षण के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके लिए निदेशक, आरएससीईआरटी, उदयपुर नोडल रहेगें तथा उनके द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश पृथक से दिये जायेंगे।

5. SKBK कार्यक्रम का प्रबोधन

- यद्यपि कार्यक्रम में शाला दर्पण प्रविष्टि तथा एप के माध्यम से विद्यार्थियों की प्रगति की नियमित जानकारी प्राप्त होगी परन्तु कार्यक्रम के सुचारू क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तर से संस्था प्रधान तक कार्यक्रम का नियमित एवं प्रभावी प्रबोधन किया जाना है–
  - कार्यक्रम के लिए क्रियान्वयन कार्ययोजना बनाना
  - वर्कबुक्स की पहुंच सुनिश्चित करना
  - वर्कबुक्स की पहुंच होने तक डाउनलोड की गई वर्कशीट्स से अध्ययन प्रारम्भ करना
  - विद्यालय विजिट के दौरान प्रगति की समीक्षा करना।
  - विद्यालय विजिट के दौरान प्रगति की समीक्षा करना।

SKBK कार्यक्रम की विस्तृत योजना उपर्युक्त निर्देशानुसार प्रत्येक कार्यालय (JD/CDEO/ DEO/CBEO)तथा विद्यालयों के संस्था प्रधानों को क्रियान्वयन की कार्य योजना तैयार करनी है तथा पत्र में प्रदत्त निर्देशों के अनुरूप विद्यालयों में वर्कबुक वितरण, क्षमता आधारित समयबद्ध शिक्षण प्रारम्भ करवाना है।

(गौरव अग्रवाल)
आइ.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

01. विशिष्ट सहायक, शिक्षामंत्री (प्रारम्भिक तथा माध्यमिक),संस्कृत शिक्षा,कला साहित्य,संस्कृति तथा ए.एस.आई राजस्थान सरकार, जयपुर।
02. विशिष्ट सहायक, शिक्षा राज्य मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।

03. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग एवं पंचायती राज (प्रारं. शिक्षा) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
04. आयुक्त तथा राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा, स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् सह विशिष्ट शासन सचिव, राजस्थान, जयपुर।
05. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा एवं पंचायती राज (प्रारंभिक शिक्षा) विभाग, राजस्थान, बीकानेर।
06. निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, उदयपुर ।
07. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, NIC , राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्तानुसार आवश्यक मॉड्यूल निर्माण करवाना सुनिश्चित करें।
08. संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा –समस्त।
09. प्रधानाचार्य, सादुल स्पोर्ट्स स्कूल, बीकानेर।
10. मैनेजर, गुरू नानक भवन संस्थान, जयपुर।
11. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
12. स्टाफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा।
13. रक्षित पत्रावली।

उपनिदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

मुख्य भवन ब्लॉक–5 एवं 06

डॉ. एस. राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर, जे.एल.एन मार्ग, जयपुर

फोन –0141–2706069 rajssaquality@gmail.com

आजादी का अमृत महोत्सव

क्रमांक–रा.स्कूल.शि.प / जय / गुणवत्ता / कार्यपुस्तिका / 2022–23 / F-33/2253 दिनांक 17/6/2022

"ब्रिज कार्यक्रम अन्तर्गत कार्यपुस्तिकाओं का वितरण एवं उपयोग"
दिशानिर्देश सत्र 2022–23

कोविड–19 की कठिन परिस्थितियों के मध्यनजर विद्यालयों में कक्षा कक्षीय गतिविधियां लम्बे समय तक संचालित नहीं हो सकी, जिससे विद्यार्थियों में अधिगम अन्तराल उत्पन्न हुआ है। कोरोना काल के दौरान शिक्षा में हुए नुकसान की भरपाई के लिए सत्र 2022–23 में स्कूली विद्यार्थियों के लिए 03 माह की अवधि के लिए ब्रिज कार्यक्रम संचालित किया जाना है।

विद्यार्थियों में सीखने की निरन्तरता बनाये रखने एवं अधिगम अन्तराल को कम के उद्देश्य से कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों हेतु बुनियादी दक्षताओं के आधार पर हिन्दी, अंग्रेजी व गणित विषय की कार्यपुस्तिकाएें तैयार की गई हैं। कार्यपुस्तिकाओं में सम्मिलित कार्य पत्रकों में गतिविधि आधारित शिक्षण सामग्री का समावेश किया गया है जिस पर शिक्षकों के मार्गदर्शन में विद्यार्थियों द्वारा अभ्यास कार्य किया जाना है।

उद्देश्य –

- विद्यार्थियों को अभ्यास के अधिकतम अवसर उपलब्ध कराना।
- कोविड के कारण उत्पन्न हुए अधिगम अन्तराल को कम करना।
- अधिगम संकेतकों के अनुसार अवधारणों की समझ हेतु कार्य कराना।
- नियमित अन्तराल पर आकलन करते हुए शैक्षिक प्रगति का आकलन करना।

कार्यपुस्तिकाओं का विवरण

क्र.सं.	विषय	कक्षा	कार्य पुस्तिका का नाम	वि. विवरण
1.	हिन्दी	1	प्रथम	कक्षा स्तर के अनुरूप
2.	गणित			
3.	अंग्रेजी			
4.	हिन्दी	2	पल्लव	कक्षा स्तर के अनुरूप
5.	गणित			
6.	अंग्रेजी			
7.	हिन्दी	3	पहल	कक्षा 1 एवं 2 के सीखने के प्रतिफल अनुरूप
8.	गणित			
9.	अंग्रेजी			
10.	हिन्दी	4 एवं 5	प्रयास	कक्षा 2, 3 एवं 4 के सीखने के प्रतिफल अनुरूप
11.	गणित			
12.	अंग्रेजी			
13.	हिन्दी	6 एवं 7	प्रवाह	कक्षा 4, 5 एवं 6 के सीखने के प्रतिफल अनुरूप
14.	गणित			
15.	अंग्रेजी			
16.	हिन्दी	8	प्रखर	कक्षा 5, 6 एवं 7 के सीखने के प्रतिफल अनुरूप
17.	गणित			
18.	अंग्रेजी			

कक्षा 1 एवं 2 की कार्यपुस्तिकाऐं कक्षा स्तर के सीखने के प्रतिफल अनुरूप गतिविधियों को सम्मिलित करते हुये तैयार की गई हैं। ब्रिज कार्यक्रम अन्तर्गत अधिगम अन्तराल को कम करने हेतु कक्षा 3 से 8 की कार्यपुस्तिकाओं में निम्नानुसार सामग्री समाहित की गई है–

1. कार्यपुस्तिका के प्रारम्भ में बेसलाइन से पूर्व अभ्यास हेतु कार्य प्रत्रक दिए गये है।
2. प्रारम्भिक अभ्यास के उपरान्त बेसलाइन हेतु प्रारूप सम्मिलित किया गया है।
3. सम्पूर्ण कार्यपुस्तिका को दो भागों में विभक्त किया गया है–
    1. ब्रिज कोर्स
    2. सत्र पर्यन्त उपचारात्मक शिक्षण

- **ब्रिज कोर्स** – कक्षा 3 से 8 के विद्यार्थियों को कार्यपुस्तिका के प्रथम भाग (ब्रिज कोर्स) के कार्य पत्रकों पर अभ्यास कार्य कराया जाना हैं जो 03 माह तक संचालित होगा। कार्यपत्रकों के मध्य नियमित अन्तराल पर गतिविधि एवं आकलन पत्रक भी सम्मिलित किये गये है। आकलन पत्रक के माध्यम से विद्यार्थियों के सीखने का आकलन किया जाना है। ब्रिज कोर्स के प्रारम्भ में प्रत्येक विद्यार्थी का प्रारम्भिक मूल्यांकन (Base Line) किया जायेगा। Base Line हेतु प्रारूप आकलन पत्रक कार्यपुस्तिका के प्रारम्भ में दिया गया है। Base Line के माध्यम से विद्यार्थियों के अधिगम के प्रारम्भिक स्तर का पता चल सकेगा।

  ब्रिज कोर्स के अन्त में मध्यावधि आकलन पत्रक दिए गए हैं मध्यावधि आकलन के परिणामों के आधार पर विद्यार्थियों के सीखने के स्तर की जानकारी हो सकेगी जिसके आधार पर विद्यार्थियों के समूह निर्माण करते हुए सत्र पर्यन्त उपचारात्मक शिक्षण संचालित किया जाना है।

- **सत्र पर्यन्त उपचारात्मक शिक्षण** – मध्यावधि आकलन की उपलब्धि के आधार पर विद्यार्थियों के सीखने के स्तरानुसार समूह बनाकर वर्ष पर्यन्त उपचारात्मक शिक्षण संचालित किया जाना है। सत्र पर्यन्त उपचारात्मक शिक्षण के दौरान कार्यपुस्तिका में दक्षता अनुसार कार्यपत्रक दिये गये है जिन पर सतत् रूप से विद्यार्थियों से कार्य कराया जाना अपेक्षित है। कार्य पत्रकों के मध्य में गतिविधि एवं आकलन पत्रक भी नियत अन्तराल पर सम्मिलित किये गये है जिनका विद्यार्थी के सीखने के आकलन हेतु उपयोग किया जाना है।

  राज्य स्तर से लेकर विद्यालय स्तर तक कार्यपुस्तिकाओं के वितरण की चरणबद्ध योजना तैयार की गई है। इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए विभिन्न स्तरों पर किये जाने वाले कार्यो को सूचीबद्ध किया गया है –

  - कार्यपुस्तिकाओं का वितरण ब्लॉक स्तर तक चरणबद्ध रूप से किया जाना है। ब्लॉक स्तर से पीईईओ एवं शहरी सीआरसी के माध्यम से विद्यालय स्तर तक किया जाना है।
  - **विद्यालय स्तर से कक्षा 1 से 8 में नामांकित प्रत्येक विद्यार्थी को कार्यपुस्तिका उपलब्ध कराई जानी है।**
  - **संस्कृत शिक्षा के विद्यालय एवं जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा संचालित माँ वाड़ी केन्द्रों में नामांकित विद्यार्थियों को भी कार्यपुस्तिकाऐं वितरित की जानी है।**
  - कार्यपुस्तिका वितरण एवं उपयोग हेतु विभिन्न स्तर पर निम्नानुसार दायित्वों का निर्वहन किया जाना अपेक्षित है–

जिला स्तर पर किये जाने वाले कार्य/दायित्व :

- कार्यपुस्तिकाओं के वितरण एवं मॉनिटरिंग हेतु जिला एवं समस्त ब्लॉक कार्यालयों पर प्रभारी की नियुक्ति करना।
- प्रत्येक विद्यार्थी तक कार्यपुस्तिकाओं की पहुँच एवं उपयोग की सघन मॉनिटरिंग एवं समीक्षा करना।
- जिला स्तर पर ब्लॉक स्तर से प्राप्त स्टॉक एन्ट्री को समेकित करते हुए सूचना परिषद कार्यालय जयपुर को प्रेषित करना।
- जिला स्तर पर कार्यपुस्तिकाओं के वितरण की मॉनिटरिंग हेतु कन्ट्रोल रूम स्थापित करना।
- ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों, पीईईओ एवं यूसीईईओ के साथ सतत् संवाद बनाये रखना तथा उनके द्वारा अनुभूत की जाने वाली कठिनाईयों का निराकरण सुझाना।
- कार्यपुस्तिकाओं के वितरण एवं विद्यार्थियों द्वारा उपयोग की अद्यतन प्रगति से राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् जयपुर तथा निदेशालय बीकानेर को अवगत कराना।

ब्लॉक स्तर पर किये जाने वाले कार्य/दायित्व :

- प्रत्येक विद्यार्थी तक कार्यपुस्तिकाओं की पहुँच एवं उपयोग की सघन मॉनिटरिंग एवं समीक्षा करना।
- ब्लॉक स्तर पर कार्यपुस्तिकाओं के लिये प्रभारी नियुक्त करना।
- राज्य स्तर से प्रेषित कार्यपुस्तिकाओं को ब्लॉक स्तर पर सुरक्षित स्थान पर रखवाया जाना।
- ब्लॉक स्तर पर प्राप्त कार्यपुस्तिकाओं की प्रविष्टि ब्लॉक लॉगइन से शाला दर्पण मॉड्यूल पर करना।
- ब्लॉक स्तर से स्टॉक की सूचना निर्धारित प्रपत्र में कार्यपुस्तिका प्राप्ति के दिवस ही जिला कार्यालय को प्रेषित करना। (संलग्न परिशिष्ट – 07)
- ब्लॉक कार्यालय से कार्यपुस्तिका पीईईओ/शहरी सीआरसी को 03 दिवस में वितरण कराना।
- ब्लॉक कार्यालय द्वारा पीईईओ/सीआरसी स्तर से कार्यपुस्तिकाओं का अधीनस्थ विद्यालयों में 02 दिवस में वितरण सुनिश्चित किया जाए।
- ब्लॉक स्तर पर कार्यपुस्तिका वितरण का रिकॉर्ड संधारण निर्धारित प्रपत्र में किया जाना है। परिशिष्ट– 01 एवं 02 पर संलग्न है।

पीईईओ/सीआरसी स्तर से किये जाने वाले कार्य/दायित्व :

- पीईईओ/सीआरसी शाला दर्पण पर कक्षावार नामाकन के अनुसार अपने क्षेत्र के समस्त विद्यालयों के लिए कार्यपुस्तिका ब्लॉक कार्यालय से प्राप्त करेंगे।
- शाला दर्पण के नामांकन एवं प्राप्त कार्यपुस्तिकाओं में 1 से 5 प्रतिशत तक अन्तर हो सकता है, ऐसी स्थिति में परिक्षेत्र के विद्यालयों से समन्वयन कर कार्य पुस्तिकाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।
- ब्लॉक से कार्यपुस्तिका लाने का व्यय पीईईओ/सीआरसी स्तर पर ही वहन किया जायेगा।
- कार्यपुस्तिका प्राप्ति के 02 दिवस में अपने परिक्षेत्र के समस्त विद्यालयों में कार्यपुस्तिका का वितरण सुनिश्चित की जाए।
- प्रत्येक विद्यार्थी तक कार्यपुस्तिकाओं की पहुँच एवं उपयोग की सघन मॉनिटरिंग एवं समीक्षा करना।
- पीईईओ/सीआरसी स्तर पर कार्यपुस्तिका वितरण का अभिलेख संधारण किया जाये। प्रपत्र परिशिष्ट– 03 एवं 04 संलग्न किया जा रहा है।

संस्थाप्रधान के कार्य/दायित्व :

- विद्यालय के संस्थाप्रधान पीईईओ/शहरी सीआरसी से नामांकन के अनुसार कार्यपुस्तिकाएं प्राप्त करेंगे। प्राप्त कार्यपुस्तिकाओं की संख्या में 1 से 5 प्रतिशत तक का अन्तर हो सकता है ऐसी स्थिति में परिक्षेत्र के विद्यालयों से समन्वय कर कार्यपुस्तिकाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।
- विद्यार्थियों तक कार्यपुस्तिकाओं के वितरण की नियमित रूप से मॉनिटरिंग करना।
- विद्यार्थियों को शिक्षकों के माध्यम से कार्यपुस्तिकाओं के उपयोग हेतु प्रेरित करना।
- कक्षा कक्ष में विद्यार्थियों के साथ कार्यपुस्तिकाओं पर कराये जा रहे अभ्यास कार्य की नियमित मॉनिटरिंग करना एवं आवश्यक फीडबैक प्रदान करना।
- अभिभावकों के साथ नियमित संवाद स्थापित करते हुए विद्यार्थियों के अभ्यास हेतु प्रेरित करना।

शिक्षक के कार्य/दायित्व :

- कक्षावार नामांकित समस्त विद्यार्थियों को 05 दिवस में कार्यपुस्तिकाऐं वितरित कराना।
- कक्षा 1–2 के विद्यार्थियों हेतु कक्षा स्तर के अनुरूप तैयार कार्यपुस्तिकाऐं उपलब्ध कराई जानी है।
- **विद्यार्थियों को उनके अधिगम स्तर के आधार पर हिन्दी, अंग्रेजी एवं गणित की कक्षा 01 की प्रथम, कक्षा 02 के लिए पल्लव कक्षा 3 के लिये पहल, कक्षा 4 एवं 5 के लिये प्रयास, कक्षा 6 एवं 7 के लिये प्रवाह तथा कक्षा 8 के लिये प्रखर कार्यपुस्तिका वितरित की जानी है।**
- विद्यार्थियों का प्रारम्भिक मूल्यांकन (Base Line) करते हुए समीक्षा की जाए।
- विद्यार्थियों को कार्यपुस्तिकाओं में निरन्तर अभ्यास कार्य हेतु प्रेरित करना।
- विद्यार्थियों द्वारा महसूस की जाने वाली कठिनाईयों का निराकरण करना।
- विद्यार्थियों द्वारा किये जा रहे अभ्यास कार्य की आकलन प्रपत्रों के माध्यम से समीक्षा करना।
- नियमित अन्तराल पर विद्यार्थियों के सीखने का आकलन करना, मध्यावधि एवं सत्र के अन्त में End line Assessment पूर्ण कराना।
- Base line, Mid line एवं End line के पत्रकों को विद्यार्थीवार पोर्टफोलियों में संधारित करना।

अभिभावकों से अपेक्षा :

- विद्यार्थियों को कार्य पुस्तिकाओं पर कार्य करने हेतु प्रेरित किया जाये।
- विद्यालय में शिक्षक/संस्थाप्रधान के साथ निरन्तर समन्वय बनाए रखना।

कार्यपुस्तिका वितरण का रिकॉर्ड संधारण :

- कार्यपुस्तिकाओं के वितरण की प्रविष्टि शाला दर्पण पर की जानी है।

शाला दर्पण ⟶ स्कीम मेनू ⟶ फ्री टेक्स्ट बुक ⟶ वर्क बुक

कार्यपुस्तिकाओं में विद्यार्थियों द्वारा कार्य पूर्ण किये जाने के उपरान्त कक्षाध्यापक/विषयाध्यापक द्वारा कार्यपुस्तिकाओं को विद्यालय स्तर पर संधारित किया जाना है।

कक्षा 01 से 08 की कार्यपुस्तिकाओं को rajsmsa.nic.in पोर्टल पर भी अपलोड किया गया है विद्यालयों को कार्यपुस्तिका प्राप्त होने तक पोर्टल से भी कार्य पत्रक डाउनलोड कर विद्यार्थियों के अभ्यास हेतु उपयोग किया जाए।

(नोट : सामग्री वितरण के दौरान समस्त कार्यो को करते हुए कोविड़–19 हेतु जारी समस्त दिशा–निर्देशों की पालना अनिवार्यतः की जाए)

संलग्न – उपरोक्तानुसार प्रपत्र 01–07

(डॉ. मोहन लाल यादव)
राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त

क्रमांक–रा.स्कूल.शि.प/जय/गुणवत्ता/कार्यपुस्तिका/2022–23/F-33/2253 दिनांक 17/6/2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, समग्र शिक्षा अभियान, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक माध्यमिक शिक्षा/प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय राज. बीकानेर।
4. निजी सचिव, निदेशक, जनजातीय एवं क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर।
5. निजी सहायक, निदेशक, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सहायक, निदेशक आरएससीईआरटी, उदयपुर।
7. निजी सहायक, अति. राज्य परियोजना निदेशक– प्रथम/द्वितीय राज. स्कूल शि. परिषद्, जयपुर।
8. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, समस्त संभाग।
9. समस्त जिला प्रभारी अधिकारी, राज. स्कूल शि. परिषद्, जयपुर। ।
10. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समस्त जिले।
11. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, समस्त जिले।
12. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समस्त ब्लॉक।
13. समस्त पीईईओ/यूसीईईओ।
14. कार्यालय प्रति।

17-6-2022
अति.राज्य परियोजना निदेशक

ब्लॉक का नाम.. प्रपत्र – 1

क्र. सं.	दिनांक	कक्षा	प्राप्त कार्यपुस्तिका संख्या			पीईईओ/यूसीईईओ को वितरित कार्यपुस्तिका			शेष			हस्ताक्षर प्रभारी
			हिन्दी	अंग्रेजी	गणित	हिन्दी	अंग्रेजी	गणित	हिन्दी	अंग्रेजी	गणित	

ब्लॉक का नाम.. प्रपत्र – 2

क्र. सं.	दिनांक	पीईईओ/यूसीईईओ विद्यालय का नाम	कक्षा	वितरित कार्यपुस्तिका संख्या			प्राप्तकर्ता का नाम	मो. नम्बर	हस्ताक्षर
				हिन्दी	अंग्रेजी	गणित			

पीईईओ का नाम.. प्रपत्र – 3

क्र. सं.	दिनांक	कक्षा	प्राप्त कार्यपुस्तिका संख्या			विद्यालय को वितरित कार्यपुस्तिका			शेष			हस्ताक्षर प्रभारी
			हिन्दी	अंग्रेजी	गणित	हिन्दी	अंग्रेजी	गणित	हिन्दी	अंग्रेजी	गणित	

पीईईओ का नाम.. प्रपत्र – 4

क्र. सं.	दिनांक	विद्यालय का नाम	कक्षा	वितरित कार्यपुस्तिका संख्या			प्राप्तकर्ता का नाम	मो. नम्बर	हस्ताक्षर
				हिन्दी	अंग्रेजी	गणित			

विद्यालय का नाम.. प्रपत्र – 5

क्र. सं.	दिनांक	कक्षा	प्राप्त कार्यपुस्तिका संख्या			विद्यार्थियों को वितरित कार्यपुस्तिका			शेष			हस्ताक्षर प्रभारी
			हिन्दी	अंग्रेजी	गणित	हिन्दी	अंग्रेजी	गणित	हिन्दी	अंग्रेजी	गणित	

विद्यालय का नाम.. प्रपत्र – 6

क्र.सं.	दिनांक	विद्यार्थी का नाम	कक्षा	वितरित कार्यपुस्तिका संख्या			हस्ताक्षर प्राप्तकर्ता	हस्ताक्षर प्रभारी
				हिन्दी	अंग्रेजी	गणित		

कार्यालय अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा

जिला.......................................

स्टॉक एन्ट्री प्रमाण पत्र

प्रपत्र – 7

क्र. सं.	जिला	ब्लॉक का नाम	कक्षा –			कक्षा –			सामग्री प्राप्ति की दिनांक	स्टॉक रजिस्टर का पेज क्रमांक व दिनांक
			हिन्दी	अंग्रेजी	गणित	हिन्दी	अंग्रेजी	गणित		
योग										

उक्तानुसार वर्णित कार्यपुस्तिकाओं की प्राप्ति संतोषप्रद है।

हस्ताक्षर.......................................

अति. जिला परि. समन्वयक

जिला.......................................

नोट –

1. उक्त प्रपत्र में जिला स्तर से कोई भी परिर्वतन नहीं किया जाये।
2. प्रपत्र में वांछित समस्त परिष्ठियां पूर्ण कर हस्ताक्षरयुक्त प्रति एवं **Excel Sheet** में सूचनायें आवश्यक रूप से प्रेषित की जाये।